9/5/19 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित हैं। विपक्षी बावजूद पर्याप्त तामील के उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। मौके पर किसी प्रकार का विपक्षी निर्माण नहीं करे न ही किसी को विक्रय रहन बेचान इत्यादि करे। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि जो परिशिष्ट- 1, 2, 3, 4 में अंकित है वह सहखातेदारी की भूमि है। जिससे मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होती है अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण के इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। भूमि को विक्रय रहन, बख्शीश इत्यादि नहीं करें। मौके पर निर्माण नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नाम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द